न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 29/2024-25/ 4130 मंदसौर, दिनांक 29-11-2024

म.प्र.शासन

विरूद्ध

श्रीमती दुर्गा केथवास

सरपंच ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी

(पारित आदेश दिनांक 28 /11/2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी जनपद पंचायत मंदसौर की आर्थिक अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दिनांक 10.07.2024 एवं संयुक्त संचालक (शिका.) पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/पं.रा/शिका./सीएमएस/पीयूबी/2024/11737-11738 दिनांक 02/09/2024 से सीएम मॉनिट बी- क्रमांक 3269/सीएमएस/एमएलए/224/2024 दिनांक 24/07/2024 को प्राप्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जॉच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पंचायत सेल/24/2347 दिनांक 16/07/2024 भेजी जाकर शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जॉच की जाकर जॉच प्रतिवेदन चाहा गया ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन क्रमांक 2515 दिनांक 25/07/2024 में निम्न तथ्य प्रतिवेदित किये गये:-

ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी की रोकड बही एवं आडिट रिर्पोट के आधार पर ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारंम्भिक शेष राशि रूपये 14,78,801/- बैंक में एवं राशि रूपये 450/- नगदी उपलब्ध होना पायी गई । इसी प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में अंतिम शेष राशि रूपये 18,97,167/- बैंक में एवं राशि 896/- नगदी उपलब्ध होना पाई गई ।

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष सरपंच (श्रीमती दुर्गा केथवास) के कार्यकाल प्रारंभ से कुल राशि 34923/- का नगद भुगतान किया गया । ग्राम पंचायत की रोकड बही एवं ऑडिट रिर्पोट के आधार पर ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक शेष राशि रूपये

18,97,168/- बैंक में एवं राशि 1,78,071/- नगदी उपलब्ध थी । ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में कुल राशि 96,432/- का नगद भुगतान किया गया ।

संपरीक्षा द्वारा प्रस्तुत ऑडिट कंडिकाओं अनुसार ग्राम पंचायत के ऑडिट के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की कार्यवाहियों का रजिस्टर, अनुदान पंजी, निर्माण कार्य पंजी, रसीद संग्रह पंजी, भण्डार पंजी, निर्माण कार्यो की माप पुस्तिका एवं नस्तीयों, मांग वसूली पंजी, अग्रिमों का रजिस्टर, स्थावर संपत्ति का रजिस्टर, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी से संबंधी अभिलेख, बजट रजिस्टर उपलब्ध नही करवाए गए साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के ऑडिट हेतु दिनांक 20/03/2024 के पश्चात का बैंक स्टेटमेंट भी उपलब्ध नही करवाया गया । जॉच के दौरान उक्त सभी दस्तावेज अनुपलब्ध पाये गये ।

ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय भुगतान नियमित किया जा रहा, किन्तु स्थापना व्यय की पंजी का संधारण नही किया गया है, जिससे कर्मचारियों को प्रदाय मानदेय की दर का सत्यापन नही हो पाया ।

वर्तमान में सरपंच (श्रीमती दुर्गा कैथवास) के कार्यकाल में राधा राठौड के घर से महेश शर्मा के घर तक सीसी सडक का निर्माण किया गया जिसकी तकनीकी स्वीकृति राशि रूपये 4.30 लाख (मनरेगा 0.645 एवं 15 वॉं वित्त 3.655) है । उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति नही ली गई । वही पोर्टल से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कार्य पर मूल्यांकन किए बगैर राशि रूपये 3,65,650/- का व्यय किया जो तकनीकी स्वीकृति से अधिक होना पाया गया जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रैणी में आता है । ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त जानकारी अनुसार नाला निर्माण पर कुल राशि 13,13,838/- का व्यय किया गया उक्त पोर्टल पर दर्शित समस्त कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा मूल्यांकन रिर्पोट उपलब्ध नही करवाई गई ।

आडिट रिर्पोट 2022-23 अनुसार एवं मौके पर जॉच अनुसार निम्नानुसार भुगतान के बिल व्हाउचर अनुपलब्ध होना पाये गये ।

क्र.	व्हाउचर क्र.	राशि रूपये	फर्म
89	89	4,000	रामेश्वर ख्याली राम फोटो कापी का भुगतान
91	91	25,000	जीवन माली को भुगतान
96	96	15,800	जीवन जगदीशचन्द्र को भुगतान
104	104	25,340	साई कम्प्यूटर को भुगतान

112	112	1,1000	पुरन प्रजापत को भुगतान
113	113	10000	के जी एन वेलडींग वर्कस वर्कस भुगतान
114	114	52,500	निरूपति कंसटक्शन को भुगतान
124	124	5,4000	राजेन्द्र रामसिंह जैन को भुगतान (दलौदा चौपाटी के कर्मचारी)
210	210	17,948	श्याम इलेक्टीकल्स को भुगतान
235	235	75,363	बाजाजी इलेक्टीकल्स को भुगातन
236	236	75,363	बाजाजी इलेक्टीकल्स को भुगतान
योग		**3,66,314 (तीन लाख छाछट हजार तीन सौ चौदह मात्र)**	

उपरोक्तानुसार भुगतान राशि रूपये 3,66,314/- (तीन लाख छाछट हजार तीन सौ चौदह मात्र) के बिल एवं किया गया भुगतान किस उदेश्य से ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा किया गया अनुपलब्ध है । ग्राम पंचायत द्वारा व्हाउचर क्रमांक 231 से राशि रूपये 1,19,750/- व्हाउचर क्रमांक 231 से राशि रूपये 76,350/- एवं व्हाउचर क्रमांक 233 से राशि रूपये 33,725/- कुल राशि रूपये 2,29,825/- दिनांक 06/03/2023 से विश्वकर्मा सेल्स एण्ड सर्विस नवीन मोटर पंप क्रय किया गया जिसकी सक्षम स्वीकृति ग्राम पंचायत में उपलबध होना नही पाया गया एवं भण्डार क्रय नियमों का ग्राम पंचायत द्वारा पालन नही किया जाना पाया गया ।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रोकड बही एवं बिलों के जॉच के समय अवलोकन करने पर पाया गया की जीएसटी का कटोत्रा नही किया जा रहा जिससे शासन को राजस्व की हानी हो रही है ।

15 वित्त आयोग की राशि से व्हाउचर क्रमांक 102 दिनांक 28.10.2022 एवं व्हाउचर क्रमांक 106 दिनांक 28.10.2022 को राशि रूपये 5,800/- राशि रूपये 7,500/- एवं राशि रूपये 9,800/- कुल राशि रूपये 23,100/- का मानदेय भुगतान होना पाया गया जो 15 वित्त आयोग के निर्देशों में गैर अनुमत्य व्यय में होकर वित्तीय अनियमितता का श्रैणी में आता है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की रोकड बही एवं बिल व्हाउचर का जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा अवलोकन करने पर यह पाया गया की 24 भुगतान जिनकी कुल राशि रूपये 10,69,917/- है,

जिन पर जीएसटी नही काटा गया, नगद लेनदेन किया गया जिनके बिल अनुपलब्ध होने पाये गये ।

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15/03/2023 को एक ट्रेक्टर रजिस्टेशन न. एमपी 14 जेटबी 5001 क्रय किया गया जिसकी राशि रूपये 1,20,000/- डाउन पेमेंट व्हाउचर क्रमांक 14 एवं 15 से दिनांक 14/4/2023 को किया गया । उक्त ट्रेक्टर श्रीमती दुर्गा केथवास के नाम से होकर ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा उक्त ट्रेक्टर की किश्त श्रीमती दुर्गा केथवास को राशि रूपये 14,050/- (चौदह हजार पचास मात्र) प्रति माह दी जा रही है । वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्ति तक ग्राम पंचायत द्वारा कुल राशि रूपये 1,68,600/-(एक लाख अडसठ हजार छः सौ मात्र) श्रीमती दुर्गा केथवास को प्रदाय की गई है, जो कि वित्तीय अनियमिता की श्रेणी में आकर शासन की धन राशि का अनियमित व्यय किया जाना प्रतित होता है । ग्राम पंचायत एवं श्रीमती केथवास के मध्य ट्रेक्टर संबंधी कोई अनुबंध होना नही पाया गया ।

ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा शिव मंदिर के सामने लाईन की उंचाई बढाने के उदेश्य से विघुत पोल की स्वीकृति ग्राम पंचायत निधि से करवाने हेतु प्रस्ताव पारित किया । उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नही की गई । इस प्रकार उक्त कार्य पर 15 वॉ वित्त राशि से 5,27,534/- (पॉच लाख सतावीस हजार पॉच सौ चौतीस मात्र) का भुगतान होना पाया गया जो 15 वित्त आयोग में गेर अनुमत्यता की श्रेणी में आता है । एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोकड बही के पृष्ठ क्रमांक 68 पर दिनांक 07/08/2024 अंकित राशि रूपये 33,775/- (तेंतीस हजार सात सौ पिच्योतर मात्र) की पृविष्टि रोकड बही में तो की गई किन्तु उसे योग में सम्मिलित नही किया गया । इसी प्रकार रोकड बही के पृष्ठ क्र.89 दिनांक अंकित राशि रूपये 392/- (तीन सो बान्वे) को भी योग में सम्मिलित नही किया गया । रसीद बुक क्रमांक 1453 के रसीद क्र. 44 में राशि रूपये 3080/- (तीन हजार अस्सी मात्र) एवं रसीद क्रमांक 45 में राशि रूपये 6,600/- (छः हजार छः सौ मात्र) की राशि को रोकड बही में प्रविष्टि नही किया गया । रसीद क्रमांक 79 से राशि रूपये 17,320/- (सत्रह हजार तीन सौ बीस मात्र) की राशि वसूल की गई, किन्तु राशि रू.13,720/(तेराह हजार सात सौ बीस मात्र) ही रोकड बही में प्रविष्टि की गई । राशि रूपये 3,600/- (तीन हजार छः सौ मात्र) ऐसी राशि है जो रोकड बही में प्रविष्ट नही की गई जो पूर्णतः शासकीय राशि का गबन किया जाना प्रतित होता है ।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रकरण में जॉचकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा निम्नानुसार भुगतान किया गया जो कि लेखा नियमों के विपरीत होना पाया जाना प्रतिवेदित किया गया है:-

क्रमांक	देयक का विवरण	राशि रूपये
01	वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगद भुगतान	34,923/-
02	वित्तीय वर्ष 2023-24	96,423/-
03	सीसी रोड राधाबाई से महेश के घर तक प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त	3,65,650/-
04	15 वित्त से नाला निर्माण तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त	13,13,858/-
05	वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऑडिट अनुसार अनुपलब्ध बील	3,66,314/-
06	मोटर पम्प क्रय स्वीकृति उपलब्ध नही	2,29,825/-
07	15 वित्त मानदेय भुगतान गैर अनुमत्य	23,100/-
08	वित्तीय वर्ष 2023-24 बील व्हाउचर उपलब्ध नही जीएसटी नही काटा गया	10,69,917/-
09	श्रीमती दुर्गा कैथवास सरपंच ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी के नाम से ट्रेक्टर क्रय	2,88,600/-
10	ऐसे भुगतान जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में नही जोडे एवं वसूली की प्रविष्टि नही की	47,447/-
11	15 वित्त से विघुत पोल का भुगतान गैर अनुमत्य	5,27,534/-
	कुल योग:- (तरालीस लाख तरेसठ हजार छः सौ मात्र)	**43,63,600/-**

इस प्रकार उक्त भुगतान राशि रूपये 43,63,600/-(तरालीस लाख तरेसठ हजार छः सौ मात्र) अंतर्गत हुआ भुगतान अनियमिता की श्रेणी में आने से जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा सरपंच के विरूद् म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई ।

धारा 40 के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर न्याय के नैसर्गिक सिदांतो को दृष्टिगत रखते हुऐ सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया ।

सरपंच का जवाब दिनांक 10/09/2024 को प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया कि सरपंच ग्राम पंचायत के उत्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर का अभिमत लिया गया ।

जॉचकर्ता अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से यह प्रथम दृष्टया यह प्रतित हो रहा है कि वास्तव में अनावेदिका (सरपंच ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी) द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही की गई है, तथा नियमों के विरूद्ध कार्य किये गये है, जिसके फलस्वरूप अनावेदिका का सरपंच के पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय प्रतित होता है । इसके आधार पर म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 में निहित प्रावधानों के तहत अनावेदिका के विरूद् सरपंच पद से पृथक किये जाने का इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 29 दिनांक 04/09/2024 का पंजीबद्ध किया गया । अनावेदिका को प्रकरण में अर्ध्द न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने बचाव पक्ष में कोई दस्तावेज/साक्ष्य या मौखिक या लिखित में जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक पंचायत सेल/3095 दिनांक 04/09/2024 को जारी किया जाकर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 10-09-2024 नियत की जाकर कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ पर नियत पेशी में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब चाहा गया ।

नियत पेशी दिनांक 10-09-2024 को अनावेदिका सरपंच उपस्थित । अनावेदिका द्वारा नियत पेशी पर उपस्थित होकर अपना लिखित में निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगद व्यय		
क्रमांक		प्रति उत्तर
01	वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगद भुगतान राशि 34,923/-	1-व्हाउचर क्रमांक 68 दिनांक 18-08-2022 राशि 1700/- व्हाउचर संलग्न हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत झण्डा वितरण (आकस्मिक व्यय) के कारण नगद भुगतान किया गया । 2-व्हाउचर क्रमांक 69 दिनांक18/08/2022 राशि रूपये 12750/- व्हाउचर संलग्न हर घर

		तिरंगा अभियान अंतर्गत झण्डा वितरण (आकस्मि व्यय) के कारण भुगतान किया गया । 3-व्हाउचर क्रमांक 70 दिनांक 31-08-2022 राशि 19050/- व्हाउचर संलग्न निर्वाचन पश्चात नवीन ग्राम पंचायत सरपंच हस्ताक्षर नमूना प्रमाणित नही होने पर कचरा वाहन डिजल नगद भुगतान । 4-व्हाउचर क्रमांक 247 दिनांक 28-03-2023 राशि रूपये 1423 व्हाउचर संलग्न कार्यालयीन फोटोकापी के कारण (आकस्मिक व्यय) के कारण भुगतान किया गया ।
02	वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगद भुगतान राशि 96,432/-	1-व्हाउचर क्रमांक 24/1 दिनांक 25/04/2023 राशि 14,050/- रसीद संलग्न ट्रेक्टर की किश्त का नगद भुगतान किया गया । 2-व्हाउचर क्रमांक 73 दिनांक 07/06/203 राशि 5.000/- म.प्र.विघुत मण्डल को (आकस्मिक व्यय) के कारण नगद भुगतान किया गया । 3-व्हाउचर क्रमांक 74 दिनांक 08-06-2023 राशि 15,000/- व्हाउचर संलग्न पेयजल समस्या के कारण सरकारी कूप से मिट्टी निकालने की मजदूरी (आकस्मि व्यय) के कारण नगद भुगतान किया गया । 4-व्हाउचर क्रमांक 118 दिनांक 28-06-2024 राशि 8,000/- व्हाउचर संलग्न लाडली बहना अभियान अंतर्गत घर-घर जाकर ईकेवाईसी की मजदूरी का आकस्मिक भुगतान किया । 5-व्हाउचर क्रमांक 119 दिनांक 04-07-2023 राशि रूपये 14,959/- बिल संलग्न विघुत

		पोल के लिए विघुत मण्डल को सुपरविजन चार्ज का नगद भुगतान किया गया । 6-व्हाउचर क्रमांक 141 दिनांक 11-7-2023 राशि 18,000/- व्हाउचर संलग्न बारिश के कारण मिट्टी मूरम परिवहन का नगद आकस्मिक भुगतान आवागमन की व्यवस्था के लिये किया गया । 7-व्हाउचर क्रमांक 142 दिनांक 15-07-2023 राशि 20,000/- व्हाउचर संलग्न मुख्यमंत्री लाडली बहना अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम होने से मजदूरी का आकस्मिक व्यय टैंट, कूर्सी, एलईडी स्क्रीन,साउण्ड का नगद भुगतान किया गया ।
03	सीसी रोड राधाबाई से महेश के घर तक प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त राशि 3,65,650/-	सीसी रोड राधाबाई के घर से महेश के घर तक निर्माण कार्य 15 वों वित्त 3,65,000/- एवं मनरेगा 65,000/- कुल राशि 4,30,000/- से स्वीकृत कार्य की संपूर्ण प्रकरण पुस्तिका एवं प्रशासकीय स्वीकृति जवाब के संलग्न ।
04	15 वित्त से नाला निर्माण तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त राशि 13,13,858/-	नाला निर्माण कार्य दलोदामें गोकूल गेस्ट हाउस से होटल जैन श्री तक मद 15 वों वित्त राशि 3,35,000/- एवं मनरेगा 1,77,000/- कुल राशि 5,12,000/- उक्त कार्य की प्रकरण पुस्तिका संलग्न एवं उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य पूर्णता-प्रमाण पत्र संलग्न किया जाकर 15 वों वित्त नाला निर्माण के कार्य पर राशि 13,13,858/- की भुगतान नही किया गया ।
05	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आडिट अनुसार अनुपलब्ध बील की राशि 3,66,314/-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऑडिट अनुसार अनुपलब्ध बिलो की छायाप्रतियाँ संलग्न । 1-व्हाउचर क्रमांक 89 दिनांक 08-10-2022 राशि 4,000/- व्हाउचर की छायाप्रति संलग्न

		। 2-व्हाउचर क्रमांक 91 दिनांक 08-10-2022 राशि 25,000/- व्हाउचर की छायाप्रति संलग्न । 3-व्हाउचर क्रमांक 96 दिनांक 18-10-2022 राशि 15,800/- व्हाउचर संलग्न । 4-व्हाउचर क्रमांक 104 दिनांक 28-10-22 राशि 25,340/- बिल की छायाप्रति संलग्न । 5-व्हाउचर क्रमांक 112 दिनांक 24-11-22 राशि 10,000/- के बिल की छायाप्रति संलग्न है । 6-व्हाउचर क्रमांक 114 दिनांक 24-11-22 राशि 52,500/- के बिल की छायाप्रति संलग्न है । 7-व्हाउचर क्रमांक 124 दिनांक 08-12-22 राशि 54,000/- के व्हाउचर की छायाप्रति संलग्न है । 8-व्हाउचर क्रमांक 210 दिनांक 19-12-22 राशि 17,948/- के बिल की छायाप्रति संलग्न । 9-व्हाउचर क्रमांक 235 दिनांक 07-03-23 राशि 75,362/- के बिल की छायाप्रति संलग्न । 10-व्हाउचर क्रमांक 236 दिनांक 07-03-23 राशि 75,362/- बिल की छायाप्रति संलग्न है ।
06	मोटर पम्प क्रय स्वीकृति उपलब्ध नही राशि 2,29,825/-	मोटर पम्प क्रय की स्वीकृति ली गयी जिसकी प्रकरण पुस्तिका संलग्न है । 1-व्हाउचर क्रमांक 231 दिनांक 06-3-23 राशि 1,19,750/- के बिल की छायाप्रति संलग्न । 2-व्हाउचर क्रमांक 232 दिनांक 06-3-23 राशि 76,350/- के बिल की छायाप्रति संलग्न

		3-व्हाउचर क्रमांक 233 दिनांक 06-3-23 राशि 33, 725/- के विल की छायाप्रति संलग्न ।
07	15 वित्त से मानदेय भुगतान गैर अनुमत्य राशि 23,100/-	15 वॉ वित्त आयोग की राशि से काई भी मानदेय भुगतान नही किया गया है, व्हाउचर की छायाप्रतियॉ संलग्न है । 1-व्हाउचर क्रमांक 102 दिनांक 28-10-22 राशि 5,800/- 2-व्हाउचर क्रमांक 105 दिनांक 28-10-22 राशि 7,500/- 3-व्हाउचर क्रमांक 106 दिनांक 28-10-22 राशि 9,800/-
08	वित्तीय वर्ष 2023-24 बील व्हाउचर उपलब्ध नही जीएसटी नही काटा गया राशि 10,69,917/-	वित्तीय वर्ष 2023-24 के समस्त बिल व्हाउचर उपलबध है, जिनका भुगतान जीएसटी बिल सहित किया गया है ।
09	श्रीमती दुर्गा कैथवास के नाम ट्रेक्टर क्रय राशि 2,88,600/-	श्रीमती दुर्गा कैथवास के नाम से काई भी ट्रेक्टर क्रय नही किया गया है । चूॅकि दुर्गा कैथवास वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी है एवं ट्रेक्टर संबंधी दस्तावेज में पार्टी ग्राम पंचायत को नही बनाकर सरपंच दुर्गा केथवास के दस्तावेज के आधार कार्ड पर ग्राम पंचायत द्वारा ट्रेक्टर किया गया है । ट्रेक्टर श्रीमती दुर्गा कैथवास की निजी सम्पति नही है । उक्त ट्रेक्टर ग्राम पंचायत की संपत्ति है । ट्रेक्टर क्रय संबंधी दस्तावेज की प्रकरण प्रस्तिका संलग्न है ।
10	ऐसे भुगतान जो वित्तीय वर्ष् 2023-24 में नही जोडे एवं वसूली की प्रविष्टि नही की राशि 47,447/-	भुगतान जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोकड बही में नही जोडे गए इस कारण रोकड बही में त्रुटिवश गणना के कारण मिलान नही होने पाये जाने के कारण वसूली राशि ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी के एकल खाते में जमा करवाई

		गई जिसकी छायाप्रति संलग्न की गई है ।
11	15 वित्त से विघुत पोल का भुगतान गैर अनुमत्य 5,27,534/-	15 वॉ वित्त से विघुत पोल का भुगतान निम्नानुसार किया गया बिल की छायाप्रतियॉ संलग्न की गई है । 1--व्हाउचर क्रमांक 235 दिनांक 07-3-2023 राशि 75,362/- बिल की छायाप्रति संलग्न । 2--व्हाउचर क्रमांक 236 दिनांक 07-3-2023 राशि 75,362/- बिल की छायाप्रति संलग्न । 3—व्हाउचर 95 दिनांक 22-06-2023 राशि 75,362/- बिल की छायाप्रति संलग्न । 4--व्हाउचर क्रमांक 96 दिनांक 22-06-2023 राशि 75,362/- बिल की छायाप्रति संलग्न । 5--व्हाउचर क्रमांक 97 दिनांक 22-06-2023 राशि 75,362/- बिल की छायाप्रति संलग्न । 6--व्हाउचर क्रमांक 98 दिनांक 22-06-2023 राशि 75,362/- बिल की छायाप्रति संलग्न । प्रकरण पुस्तिका संलग्न है, चूंकि ग्राम पंचायत में विघुत व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट विघुत पोल सहित लगाना अति आवश्यक था चूंकि ग्राम पंचायत में पंचायत निधि की पर्याप्त राशि उपलब्ध नही होने से 15 वॉ वित्त आयोग की राशि से भुगतान किया गया ।

साथ ही अनावेदिका द्वारा अपने जवाब में यह भी बताया गया है कि ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान पूर्वानुसार नियमित किया जा रहा है । जिसके भुगतान पंजी का संधारण किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को प्रदाय मानदेय की दर उल्लेखित है । उपरोक्तानुसार व्यय आकस्मिक आवश्यकता व स्थापति कार्य व्यवस्था जैसे नवीन पदभार ग्रहण होने से बैंक खाते में नमुना हस्ताक्षर प्रमाणित नही होता तथा भुगतान प्राप्तकर्ता भी स्थानीय होने से हुआ है, इसमें किसी प्रकार का राशि का दुरूपयोग नही किया गया है तथा ना ही इनकी ऐसी मंशा रही है ।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंचायत सेल/24/3274 दिनांक 19/09/2024 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर को अनावेदिका सरपंच द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रेषित करते हुऐ जवाब में उल्लेखित बिन्दुओं पर स्पष्ट अभिमत चाहा गया ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर द्वारा अपने अभिमत पत्र क्रमांक 3666 दिनांक 09/10/2024 से प्रकरण में यह अभिमत दिया गया है कि ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में नगद भुगतान राशि से किए गए व्यय को आकस्मिक व्यय बताया गया है ।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 अंतर्गत मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 18 में हस्ते नगदी किसी भी समय रूपये 2500/- से अनाधिक होना चाहिए । समस्त नगदी अधिक्य उसी दिन या अगले दिन बैंक खाते या डाकघर बचत खाते में निक्षिप्त किया जाना चाहिए। उपरोक्तानुसार नगद राशि रखना एवं व्यय करना लेखा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

सीसी रोड श्रीमती राधाबाई से महेश के घर तक की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनावेदिका सरपंच द्वारा अपने जवाब के संलग्न की गई है, किन्तु मूल्यांकन रिर्पोट एवं पूर्णता-प्रमाण पत्र के बारे में किसी प्रकार का लेख नही किया गया है । बगैर मुल्यांकन के भुगतान होना अनियमिता की श्रेणी में आता है ।

नाला निर्माण पर कुल राशि रूपये 5,12,000/- होने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए गए है, किन्तु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से भुगतान अनुसार कुल राशि रूपये 13,13,858/- होना पाया गया है । नाला निर्माण की राशि 5,12,000/-के अतिरिक्त उक्त व्यय किस कार्य पर किया गया है, इस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नही किए गए है । केवल राशि रूपये 25,340/-, राशि रूपये 10,000/- , राशि रूपये 52,500/- तथा राशि रूपये 17,948/-, राशि रूपये 75,362/- एवं राशि रूपये 75,362/- को छोडकर समस्त भुगतान उप प्रमाणक लगाकर किए गए है । भुगतान संबंधी बील नही लगाए गए है, जिससे किए गए भुगतान का उदेश्य स्पष्ट नही होता है । अनावेदिका द्वारा अपने जवाब में बिन्दु क्रमांक 06 में संलग्न किए गए दस्तावेजा के आधार पर इस बिन्दु का प्रति उत्तर संतोषजनक होना पाया गया । इसी प्रकार राशि रूपये 23,100/- का किया गया भुगतान केवल उप प्रमाणक लगाकर बगैर किसी बिल के किया गया है, जो नियम विरूद् है । एवं भुगतान की गई राशि रूपये

10,69,917/- के व्हाउचर एवं बील एवं जीएसटी कटोत्रा संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए है, जिससे भुगतान अनियमित होना प्रतित होता है ।

जॉच के दौरान दस्तावेजों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा श्रीमती दुर्गा कैथवास के नाम पर ट्रेक्टर क्रय किया गया है, तथा ट्रेक्टर की किश्त प्रमिमाह राशि रूपये 14,050/- (चौदह हजार पचास मात्र) श्रीमती दुर्गा कैथवास को प्रदाय की जा रही है । ट्रेक्टर के संबंध में ग्राम पंचायत एवं श्रीमती दुर्गा कैथवास के मध्य में किसी प्रकार का कोई भी अनुबंध होना नही पाया गया है इससे भविष्य में उक्त ट्रेक्टर पर क्रेता का आधिपत्य होने की प्रबल संभावनाए बनती है । पृथम दृष्टया उक्त संपत्ति ग्राम पंचायत की नही होकर श्रीमती दुर्गा कैथवास की होना प्रतित होती है ।

तथा इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा राशि रूपये 47,447/- को रोकड बही में दर्ज नही करना त्रुटि नही होकर वित्तीय अनियमितता एवं पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा उदासीनता को दर्शता है ।

विघुत पोल हेतु तकनीकी स्वीकृति तो ली गई किन्तु प्रशासकीय स्वीकृति अनुपलब्ध है. साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र 11325 भोपाल दिनांक 01-10-2020 अनुसार 15 वित्त की अनावृद्ध राशि से केवल स्ट्रीट लाईट कार्य किए जाने का प्रावधान है । विघुत पोल 15 वॉ वित्त से लगाने हेतु उक्त पत्र में कहीं भी उल्लेख नही किया गया । इस प्रकार उक्त व्यय गैर अनुमत्य एवं बगैर प्रशासकीय स्वीकृति के किया गया है । उक्त कार्य की ना ही मूल्यांकन रिर्पोट उपलब्ध है और ना ही प्रर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्तानुसार अनावेदिका सरपंच द्वारा अपने सरपच पदीय कर्तव्यों के विपरीत कार्य किये जाने के फलस्वरूप जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की गई ।

मेरे द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण में जॉच प्रतिवेदन एवं सरपंच द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर के संलग्न अभिलेखों, पत्रों का अवलोकन, अध्ययन एवं मनन किये जाने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ जो क्रमशः निम्नांकित है:-

<u>बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 के संबंध में :-</u>

ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी में प्राप्त करारोपण की राशि/अन्य प्राप्तियों से नगद भुगतान किया गया है । म.प्र.ग्राम पंचायत (लेखा) नियम 1999 की धारा 10 अनुसार करारोपण राशि

संग्रहित राशि संग्रहकारी व्यक्ति द्वारा उसी दिवस या अगले दिवस सचिव एवं सरपंच के पास जमा करना होता है ।

म.प्र. ग्राम पंचायत (लेखा) नियम 18 के तहत राशि रूपये 2500/- (पच्चीस सौ मात्र) से अनाधिक समस्त राशि उसी दिवस या अगले दिवस बैंक में निक्षिप्त की जाना चाहिए का प्रावधान होने के बावजूद नगदी शेष एवं ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा किए गए नगद भुगतान म.प्र.ग्राम पंचायत (लेखा) नियम 1999 की धारा 18 एवं 39 का स्पष्ट उल्लघंन किया जाकर नियमों के विपरीत कार्य किया जाना पाया गया ।

बिन्दु कमांक 03:-

सीसी निर्माण (राधाबाई से महेश के घर तक) के कार्य की बगैर मूल्यांकन के भुगतान किया गया जो कि वित्तीय अनियमिता की श्रेणी में आता है ।

बिन्दु कमांक 04:-

नाला निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 5,12,000/- (पॉच लाख बाराह हजार मात्र) स्वीकृति जारी की गई थी नाला निर्माण कार्य पर वास्तविक व्यय राशि 500000/- (पॉच लाख मात्र) का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से भुगतान अनुसार कुल राशि रूपये 13,13,858/- (तेराह लाख तेराह हजार आठ सौ अठावन मात्र) होना पाया गया है । अतः अंतर की राशि रूपये 8,13,858/- (आठ लाख तेराह हजार आठ सौ अठावन मात्र) अतिरिक्त उक्त व्यय किस कार्य पर किया गया है, इस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नही किए गए है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय धन राशि की गबन की श्रेणी में आता है ।

बिन्दु क्रमांक 05,06,07,08,10 :-

ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा ग्राम पंचायत के दस्तावेज आडिट के समय म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 07 ट के तहत उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य थे जो उपलब्ध नही करवाए गए, जो कि नियमों के विरूद्ध है ।

बिन्दु क्रमांक 09:-

ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा एक ट्रेक्टर ग्राम पंचायत के नाम पर क्रय न करते हुए व्यक्ति विशेष श्रीमती दुर्गा कैथवास के नाम पर राशि रूपये 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार मात्र) डाउन पेमेंट कर क्रय किया जाकर प्रतिमाह ग्राम पंचायत से उक्त ट्रेक्टर की किश्त राशि रूपये 14,050/- (चौदह हजार पचास मात्र) प्रति माह श्रीमती दुर्गा कैथवास को भुगतान किया

जाना पाया गया । यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत ने जो ट्रेक्टर जिस महिला के नाम से क्रय किया गया वह वर्तमान में ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी की निर्वाचित सरपंच है जबकि ट्रेक्टर के संबंध में ग्राम पंचायत एवं श्रीमती दुर्गा कैथवास के मध्य किसी प्रकार का कोई भी अनुबंध होना नही पाया गया है इससे भविष्य में उक्त ट्रेक्टर पर क्रेता का आधिपत्य होने की प्रबल संभावनाए बनती है । अनावेदिका सरपंच का उक्त कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमिता की श्रेणी में आता है ।

<u>बिन्दु क्रमांक 11:-</u>

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र 11325 भोपाल दिनांक 01-10-2020 अनुसार 15 वित्त की अनावृद्ध राशि से केवल स्ट्रीट लाईट कार्य किए जाने का प्रावधान है, परन्तु विघुत पोल 15 वॉं वित्त की राशि से लगाने हेतु उक्त पत्र में कहीं भी उल्लेख नही होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा नियमों के विपरीत कार्य किया जाकर बगैर प्रशासकीय स्वीकृति के उक्त कार्य किया गया है, तथा उक्त कार्य की ना ही कोई मूल्यांकन रिर्पोट उपलब्ध कराई गई, और ना ही उक्त कार्य का पुर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया अनावेदिका सरपंच श्रीमती दुर्गा कैथवास द्वारा म.प्र.ग्राम पंचायत (लेखा) नियम 1999 का स्पष्ट उल्लघंन करना, तथा मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियॉं एवं कृत्य) नियम, 1994 में उल्लेखित अपने कर्तव्य दायित्वों के विपरीत कार्य करना, ग्राम पंचायत की धन राशि का अनियमित व्यय किया गया जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आने पर शासकीय धन राशि का दुरूपयोग किये जाने के दोषी पाये जाते है ।

म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जॉच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, किसी पदधारी को, किसी भी समय हटा सकेगा यदि वह अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है या यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है ।

अत: स्पष्ट है कि अनावेदिका सरपंच म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 की उपरोक्त व्याख्या के अनुसार दोषी है, जिसके आधार पर मैं मध्यप्रदेश (असाधारण) प्रकाशित दिनांक 01 मई 2017 अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2017 बाईस-पी-1

दिनांक 01 मई 2017 (संशोधन) से प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत श्रीमती दुर्गा कैथवास सरपंच ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी जनपद पंचायत मंदसौर को सरपंच के पद से पृथक करता हूँ । साथ ही पारित आदेश दिनांक से आगामी (छ:वर्ष) की कलावधि के लिये किसी भी पंचायत (या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति) का सदस्य होने के लिये निरर्हित घोषित करता हूँ ।

साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती दुर्गा कैथवास के विरूद्ध ग्राम पंचायत की धन राशि का अनियमित व्यय करना, तथा वित्तीय अनियमिता की जाने पर शासकीय धन राशि का दुरूपयोग किये जाने पर संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

(राजेश कुमार जैन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मंदसौर म.प्र.

क्रमांक/पंचायतसेल2024/ 5131 मंदसौर,दिनांक 29-11-2024

प्रतिलिपि:-

1-कलेक्टर जिला मंदसौर की और सूचनार्थ प्रेषित ।

2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड मंदसौर की और सूचनार्थ प्रेषित ।

3-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4-सर्व संबंधित श्रीमती -- की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ

5-सचिव ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मंदसौर म.प्र.